न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
149 / 2025	01.09.2025	27.02.2025

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कन्हैयालाल आत्मज पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

प्रार्थीगण(वादीगण)

बनाम

1– रेवड़ीलाल आत्मज भैरू जाति गुर्जर निवासी नोनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2– कन्हैयालाल आत्मज भैरू जाति गुर्जर निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 जा0 दी0

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी बाबत निम्न निवेदन करता है:–

एा

1– यह कि उक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार है। जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि उक्त वाद वादी द्वारा भेरी का पुत्र बताकर वाद पेश किया है जो बिल्कुल असत्य एवं बनावटी है। वादी भेरी बाई का पुत्र नहीं है। भेरी बाई लाऔलाद फौत हुई है। जिसका विवरण नामान्तरण प्रपत्र में भी कर रखा है। वादी कंचन बाई पत्नि धन्नालाल का पुत्र है। इस कारण वादी को लाने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने तथ्यों को छुपाकर भेरी बाई का पुत्र बनकर वाद पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। वादी कंचन का पुत्र होने के कारण वाद लाने का अधिकार नहीं है इस कारण वादी का वाद खारीज होने योग्य है।

3– यह कि अन्य वजरान्त मौखिक रूप से निवेदन किये गये जायेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी के तौर पर बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादी) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादी) अधि0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0का जवाब पेश किया प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा0 अनुसार– यह कि वादी पन्नालाल व भेरी बाई का ही पुत्र है तथा प्रतिवादी वादी को कंचन बाई का पुत्र बताता है। यह बिन्दू साक्ष्य से ही तय होना है। प्रार्थना पत्र में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के इन्ग्रीडियंस नहीं होने से प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारीज

होने योग्य है। प्रार्थना प्रतिवादी स्वीकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 सव्यय खारीज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र बहस पर नियत किया गया।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी(प्रार्थी) अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि कन्हैयालाल भेरी बाई का पुत्र है। भेरी बाई लाऔलाद फौत हुआ है। उक्त में आपत्ति हो तो इंतकाल की अपील करें। प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही फौजदारी न्यायालय में जेरकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जावें। अप्रार्थी (वादी) अधि0 ने बहस में कथन किया कि वादी पन्नालाल व भेरी बाई का पुत्र है। वादी भेरी बाई का पुत्र है या नहीं? यह साक्ष्य से ही तय किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2011–12 (Supp.) RRT 71 Bhagwan Sahay Thr. L.Rs. V/S Ghisilal & Ors.

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो तथ्य उभय पक्ष द्वारा अवगत कराये है को साक्ष्य से प्रमाणित होने का विषय है न कि इस प्रकार प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है या नहीं। यह प्रमुखतया वाद के विचाराधीन बिन्दु है, जिसका विनिश्च विवाद्यक बिन्दुओं के सम्यक विनिश्चय पश्चात मेरिट पर ही किया जाना उचित है।

प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस आधार पर स्वीकार किया जावे। सिविल प्रकिया संहित आदेश 7 नियम 11 के जिन आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जावे। प्रार्थी प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी दशा को प्रमाणित नहीं कर पाये है। वादपत्र के आधार, वाद की विषयवस्तु, वांछित रिलीफ तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित रिलीफ तथा अन्य दस्तावेजात का अध्ययन करने पर यह पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना ही वाद से संबंधित विषयवस्तु के क्रम में उचित है।

अतः समुचित कारणाभाव तथा साक्ष्याभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम 1) अस्वीकार किया जाना उचित है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 149/2025 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद